

56 58

श्रीधरभास्करों
द्वारा

न्यायालय श्रीमान समर्थ राजस्व मण्डल ग्वालियर खंडपीठ रीवा संभाग
निगरानी 251-III-15 जिला रीवा म०प्र०।

25
23-1-15



1. धर्मेंद्र कुमार मिश्रा तनय स्व०श्री माखन लाल मिश्रा
 2. पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा तनय स्व०माखन लाल मिश्रा
 3. निर्मला मिश्रा पति स्व०श्री माखन लाल मिश्रा
- सभी निवासी ग्राम धनवरिया, पो० पुरवा, थाना व तहसील
सैमरिया, जिला रीवा म०प्र०

श्री. धर्मेंद्र मिश्रा
द्वारा आज दिनांक 23-01-15 को
प्रस्तुत किया गया।

[Signature]
जिज
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानीकर्तागण

बनाम

सुन्दर लाल मिश्रा तनय स्व०हीर लाल मिश्रा निवासी ग्राम
धनवरिया, पो० पुरवा, थाना व तहसील सैमरिया, जिला रीवा
म०प्र०

गैर निगरानीकर्तागण

निगरानी बिस्व आदेश नायब तहसीलदार तहसील
सैमरिया बृत्त शाहपुर मामला क्र. 03/अ5/13-14
आदेश दिनांक 01-08-2014

क्रमांक 4389
रजि. नं. 100/15 को आज
दिनांक 23-1-15 को प्राप्त

श्री. धर्मेंद्र मिश्रा
राजस्व मण्डल न.प्र. ग्वालियर

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०भूरा०सं०

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है:-

1. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 1.8.2014 वि प्रक्रिया नियमों व तथ्यों के बिपरीत होने से अपास्त योग्य है।
2. यह कि, भूमि नं. 248/1/ख/1 रकबा 0.243 हे. निगरानीकर्तागण

[Signature]

(57)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रपत्र

प्रकरण क्रमांक

R251/III/15

(20वां)

एनएन/

एनएन/एनएन

स्थान तथा दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अधिभाषकों के हस्ताक्षर

06/11/19

इस प्रकरण में दिनांक ...18/11/18...को उभय पक्ष अधिवक्ता के तर्क सुने जाकर प्रकरण आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था। प्रकरण का अन्तर्लोकन किया। यह निगरानी नाप्रक. त. 18/11/18, समीक्षा एवं सुनवाई के प्रकरण क्रमांक ...03/325/13-14... में पारित आदेश दिनांक ...01/08/14...के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू0राजस्व संहिता में दिनांक 25/09/2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (ए) के अंतर्गत इस न्यायालय को सुनवाई किये जाने तथा आदेश पारित किये जाने की अधिकारिता नहीं है। अतः नवीन संशोधन के अनुसार सुनवाई हेतु यह प्रकरण कलेक्टर जिला ...रावा...के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक ...06/11/19...को कलेक्टर जिला ...रावा...के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।

रावा


सदस्य 6/11/19

